



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18संस्थागतक्षेत्र18/Institutional Area,
शहीदजीतसिंहमार्ग/Shahed Jeet Singh Marg,
नईदिल्ली/110016 – New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570
Email- budget.section@kvs.gov.in

फ.स.110239/2026/बजट/केवीएस(मु.)

दिनांक:23.04.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के संबंध में

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(i)/2026-E.II(B) दिनांक 22.04.2026 जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2026 से देय महंगाई भत्ते की दर (DA) में संशोधन के संबंध में है। सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जाता है।

O.M. No. 1/1(i)/2026-E.II(B) Dated 22nd April,2026 Regarding Revision of Rate of Dearness Allowance (DA) to Central Government Employees effective from 01.01.2026.


(संजय कुमार)

उपायुक्त(वित्त)

वितरण :

1. उपायुक्त, के० वी० एस०, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी, के० वी० एस०, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी / अनुभाग, के० वी० एस० (मु०)।
4. प्राचार्य,के० वी० काठमांडू, मास्को एवं तेहरान।
5. महासचिव, सभी मान्य संघ।
6. निदेशक, जीट ग्वालियर, मुंबई, मैसूर, चंडीगढ़ एवं भूबनेश्वर।
7. सहायक आयुक्त,(आई.टी), के वी एस (मु०) को के वी एस (मु०) की वैबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements)" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. आर टी आई,के वी एस (मु०)।
9. गार्ड फ़ाइल

सं. 1/1(i)2026-ई.॥(बी)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली
दिनांक: 22 अप्रैल, 2026

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन - 01.01.2026 से प्रभावी।

अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के का.जा. सं. 1/4(i)/2025-ई.॥(बी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को **01 जनवरी, 2026** से मूल वेतन के **58% से बढ़ाकर 60%** कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रूपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।



(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

☎ 011 2401 2048

सेवा में ,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।

No. 1/1(i)/2026-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

Kartavya Bhavan-1, New Delhi.
Dated the 22nd April, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees- effective from 01.01.2026.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4(i)/2025-E.II(B) dated 6th October, 2025 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **58% to 60% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2026.**

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay etc.
3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.

Hindi version is attached.



(Sarnit Kumar Das)

Deputy Secretary to the Government of India

Tel: 011 2401 2048

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: **C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.**